"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 358] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अगस्त 2013—श्रावण 22, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक 7017/डी. 247/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 31 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्र. 15 सन् 1996) की धारा 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए "अल्पसंख्यक" से अभिप्रेत है,—

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 (1992 का 19) के प्रयोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय, या

(दो) राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया कोई समुदाय."

रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2013

क्रमांक 7017/डी. 247/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 31 of 2013)

THE CHHATTISGARH RAJYA ALPSANKHYAK AYOG (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act to amend the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may appoint in this behalf by notification in Official Gazette.

Amendment of Section 2.

2. For clause (c) of Section 2 of the Chhattisgarh Rajya Alpsankhyak Ayog Adhiniyam, 1996 (No. 15 of 1996), the following shall be substituted, namely :—

"(c) "Minority" for the purpose of this Act means,—

(i) A community notified as such by the Central Government for the purpose of the National Commission for Minorities Act, 1992 (No. 19 of 1992), or

(ii) A community notified as such by the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.